

Income Limit for Old age Pension

*14/13/29. **Sh. VARUN CHAUDHARY, MLA, Mullana**

Will the Minister of State for Social Justice & Empowerment be pleased to state the time since when the income limit for old age pension was last reviewed by the Government togetherwith the reasons for delay in registration of new pensioners?

OM PRAKASH YADAV	MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
-------------------------	---

Sir,

Question	Answer
Will the Minister of State for Social Justice & Empowerment be pleased to state the time since when the income limit for old age pension was last reviewed by the Government togetherwith the reasons for delay in registration of new pensioners ?	The income limit for Old Age Samman Allowance was last reviewed in the year 2012. At present, a person whose income from all sources together with that of his/her spouse does not exceed Rs. 2,00,000/- per annum is eligible for the Old Age Samman Allowance. Till 22 nd March, 2012, this limit was Rs. 50,000/- per annum. The Government has shifted to pro-active basis for identifying beneficiaries in which Government directly approaches the beneficiaries and seeks their consent based on data verified in Parivar Pehchan Patra.

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय सीमा

*14 / 13 / 29.

श्री वरूण चौधरी (मुलाना)

क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृपया बताएं कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय सीमा की अन्तिम समीक्षा कब की गई थी और नए पेंशनरों के पंजीकरण में देरी के क्या कारण हैं ?

ओम प्रकाश यादव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री

श्रीमान जी,

प्रश्न	उत्तर
सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की आय सीमा की पिछली बार समीक्षा कब की गई थी और साथ ही नए पेंशनभोगियों के पंजीकरण में देरी के क्या कारण थे?	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हेतु आय की सीमा की विगत समीक्षा वर्ष 2012 में की गई थी। वर्तमान में ऐसा व्यक्ति, जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय, उसके पति या पत्नी की आय समेत, रुपये 2,00,000/- से अधिक नहीं है, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्र है। दिनांक 22 मार्च, 2012 तक यह सीमा रुपये 50,000/- प्रति वर्ष थी। सरकार लाभार्थियों की पहचान के लिए प्रो-एक्टिव प्रणाली पर स्थानांतरित हो गई है, जिसमें सरकार सीधे लाभार्थियों से सम्पर्क करती है और परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उनकी सहमति लेती है।